



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092021-229684
CG-DL-E-16092021-229684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521]
No. 521]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2021/भाद्र 25, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 16, 2021/BHADRA 25, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 635(अ).—केन्द्रीय सरकार, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिकरण, अपील अधिकरण और प्राधिकरण (सदस्यों की बहंसाएँ, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तों) नियम, को इन बातों के विषय में अधिसूचना द्वारा, जिनमें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और नामों होना—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिकरण (सेवा की शर्तों) नियम, 2021 है।
- (2) इन नियमों में शब्द उपलब्धित के अतिरिक्त, वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रकृत होंगे।
- (3) ये नियम, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की पहली अनुसूची के संभव (2) में बताए गए अधिकरण के अनुभव और सेवा को लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ—

इस नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से अतिरिक्तण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की पहली अनुसूची के गतम (3) में से विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम अभिप्रेत है;
- (ख) "अध्यक्ष" का वही अर्थ है, जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (क) में है;
- (ग) "समिति" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोज-सह-बचन समिति अभिप्रेत है;
- (घ) "सदस्य" का वही अर्थ है, जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (ख) में है;
- (ङ) "अधिकरण" का वही अर्थ है, जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (द.) में है;
- (च) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति

3. अर्हताएँ—(1) औद्योगिक विचार अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन औद्योगिक अधिकरण की दशा में, कोई व्यक्ति पेशवासी अधिकारों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह—

- (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा चुका हो; या
 - (ख) दस वर्षों की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रहा चुका हो।
- (2) आप-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आप-कर अपील अधिकरण की दशा में कोई व्यक्ति—

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश न हो और जो किसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्षों की सेवा न की हो या आप-कर अपील अधिकरण का उपाध्यक्ष न रहा चुका हो;

(ख) उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह सदस्य न रहा चुका हो; और

(ग) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि,—

- (i) वह दस वर्षों की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रहा चुका हो; या
- (ii) वह मुकदमों में दस वर्षों के अनुभव के साथ भारतीय विधिक सेवा का सदस्य न रहा हो या दो वर्षों की अवधि के लिए अपर सचिव या कोई समतुल्य या उच्चतर पद धारित न किया हो; या
- (iii) आप-कर अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आप-कर विधियों के अधीन मुकदमों में पचास अनुभव के साथ दस वर्षों तक अधिवक्ता न रहा चुका हो।

(4) सेवा सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि,—

(i) वह सेवा-वर्ग में पञ्जीम वर्षों का अनुभव न रखता हो,—

(अ) चाटर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चाटर्ड अकाउंटेंट न रहा चुका हो; या

(आ) पूर्ववर्ती प्रयुक्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत सेवापाल; या भारत: एक पंजीकृत सेवापाल और भारत: चाटर्ड अकाउंटेंट न रहा चुका हो; या

(ii) वह भारतीय राजस्व सेवा (आय-कर सेवा समूह 'क') का सदस्य न रह चुका हो ; और आय-कर प्रदान आपुक्त या इसके समतुल्य या उच्चतर पद धारित न कर चुका हो तथा तीन वर्षों के लिए न्यायिक, न्यायिक कल्प या निर्णायक कृत्यों को न कर चुका हो ।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर अपील अधिकरण की दशा में, कोई व्यक्ति,—

(क) अशरध के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि—

(i) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो और जो किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम मान वर्षों तक की सेवा न कर चुका हो या न रह चुका हो ; या

(ii) वह अपील अधिकरण का सदस्य न रह चुका हो ;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि—

(i) वह दस वर्षों की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो ; या

(ii) वह मुकदमों में दस वर्षों के अनुभव के साथ भारतीय विधिक सेवा का सदस्य न रह चुका हो या दो वर्षों की अवधि के लिए अपर सचिव या कोई समतुल्य या उच्चतर पद धारित न किया हो ; या

(iii) सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अशरध-कार विधियों के अधीन मुकदमों में पचास अनुभव के साथ दस वर्षों तक अधिकतम न रह चुका हो ;

(ग) वकालती सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह भारतीय राजस्व सेवा (सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा समूह 'क') का सदस्य न रह चुका हो ; और सीमा-शुल्क प्रदान आपुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या इसके समतुल्य या उच्चतर पद धारित न कर चुका हो या तीन वर्षों के लिए न्यायिक, न्यायिक कल्प या न्याय निर्णायक को न कर चुका हो ।

(4) सक्कर और विदेशी मुद्रा छलनाशक (संपत्ति समग्रहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) के अधीन अपील अधिकरण की दशा में, कोई व्यक्ति—

(क) अशरध के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ;

(ख) सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि भारत सरकार में ज्ञान सचिव या उसके समतुल्य या उच्चतर पद धारित न कर चुका हो और तीन वर्षों के लिए न्यायिक, न्यायिक कल्प या न्याय निर्णायक कृत्यों को न कर चुका हो ।

(5) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के अधीन अधिकरणों की दशा में, कोई व्यक्ति—

(क) अशरध के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,—

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ; या

(ii) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य या न्यायिक सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारित न कर चुका हो ;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,—

(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ; या

(ख) भारत सरकार में अपर सचिव या सदस्य-सचिव, भारत का विधि आयोग सहित विधि कार्य प्रामाण्य विभाग या विधायी विभाग में इसके समतुल्य या उच्चतर पद धारित न कर चुका हो ।

(ग) वह दस वर्ष की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो ;

(घ) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, संसद के अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेवा मामलों के मुकदमों में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो ;

(ग) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह भारत सरकार के अपर सचिव या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारित न कर चुका हो और ऐसा वेतनमान धारित न कर रहा हो, जो भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो ;

परंतु उचित भारतीय सेवा के वे अधिकारी, जो किसी निम्नतर पद के लिए केंद्रीय प्रतिनिधुक्ति पर थे या हैं, वे उस तारीख से, जिस तारीख से ऐसे अधिकारी प्रोफार्मा प्रेषित या वास्तविक प्रेषित पदान की गई थी, जो अपर न्यायिक के स्तर में पूर्वतर है, अपर सचिव के पद को धारित किया हुआ समझा जाएगा और ऐसी तारीख के पश्चात् केंद्रीय प्रतिनिधुक्ति पर अतीत अवधि इस संघ के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना की जाएगी ।

(6) रेल सेवा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) के अधीन रेल सेवा अधिकरण की सेवा में, कोई व्यक्ति—

(क) उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,—

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ; या

(ii) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए, प्रशासनिक, उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य न रह चुका हो ।

(ख) उपाध्यक्ष (स्वायत्त) के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,—

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ; या

(ii) मुकदमों में दस वर्ष के अनुभव के साथ, भारतीय विधिक सेवा का सदस्य न रह चुका हो और अपर सचिव या कोई समतुल्य या अन्य उच्चतर पद धारित न कर चुका हो ; या

(iii) कम से कम दो वर्षों के लिए निवृत्त न्यायिक पद, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो, धारित करता हो; या

(iv) कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए न्यायिक सदस्य के रूप में पद धारित न कर चुका हो ।

(ग) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,—

(i) कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए तकनीकी सदस्य के रूप में पद धारित न रह चुका हो ; या

(ii) दो वर्षों की अवधि के लिए रेल प्रशासन के अधीन किसी पद को, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो, धारित न कर चुका हो और रेल से संबंधित दावे और वाणिज्यिक मामलों में नियम और प्रक्रिया तथा अनुभव में पर्याप्त ज्ञान न रखता हो ।

(घ) कोई व्यक्ति, स्वायत्त सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,—

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ;

(ii) दस वर्षों की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो ;

(iii) रेल सेवा अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जीवन और संपत्ति से अति से संबंधित दावों के निपटारे में मुकदमों में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्षों तक अधिवक्ता न रह चुका हो ;

(ङ) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह रेल से संबंधित दावे और वाणिज्यिक मामलों में कम से कम पच्चीस वर्षों का निचम और प्रक्रिया में योग्यता, बलनिष्ठ और विशेष ज्ञान न रखता हो ।

(7) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1982 (1982 का 15) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण की दशा में, कोई व्यक्ति—

(क) पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रह चुका हो ;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह—

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ; या

(ii) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, प्रतिभूति अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समस्त वितीय क्षेत्र में संबंधित मामलों में मुकदमेशाही में पचास अनुभव सहित दस वर्ष तक अधिवक्ता न रहा हो ।

(ग) तमिलीकी सदस्य, जब तक कि—

(i) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में अग्र सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार पर किसी राज्य सरकार में कोई समतुल्य या उच्चतर पद धारण न किया हो; या

(ii) प्रमाणित योग्यता, सन्निष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास वितीय क्षेत्रों में जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों चिन्हांकन या पेजान निधि या चाणित्वा ज्यूलाच या बीमा भी है कम से कम पञ्चीस वर्ष का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव न हो ।-

परन्तु बोर्ड या सीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का कोई सदस्य या अंतर्गत सदस्य या पेजान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, या बोर्ड में या ऐसे प्राधिकरणों में कार्यकारी निदेशक के समतुल्य क्षेत्र प्रबंधन स्तर पर कोई व्यक्ति, उसकी सेवा या कार्यकाल के दौरान यथानियति, बोर्ड के पीठासीन अधिकारी या प्रतिभूति अपील अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या ऐसे अधिकारियों के साथ उस तारीख से दो वर्ष के भीतर जिस पर वह बोर्ड या ऐसे अधिकरणों में पद धारण करने से प्रवृत्त न हो जाता ।

परन्तु यह और कि पीठासीन अधिकारी या सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई वितीय या अन्य हित नहीं है जैसा कि ऐसा पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में उनके कार्यों पर प्रतिभूत रूप से प्रभावित करने के लिए संभाव्य है ।

(8) बैंको और वितीय संस्थाओं की बोध्य ऋण समूही अधिकरण अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण समूही अधिकरण की दशा में, कोई भी व्यक्ति तब तक बंध ऋण समूही अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक वह किसी न्यायाधीश न हो या न रहता हो ।

(9) बैंको और वितीय संस्थाओं की बोध्य ऋण समूही अधिकरण अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण समूही अधिकरण की दशा में, कोई भी व्यक्ति तब तक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहता हो ; या

(ख) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य न रहा हो जिसके पास मुकदमेशाही का दस वर्ष का अनुभव न हो और अग्र सचिव या कोई समतुल्य या किसी उच्चतम पद पर पदधारण न किया हो ; या

(ग) किसी ऋण समूही अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में तीन वर्ष तक पदधारण न किया हो ।

(10) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (1997 का 24) के अधीन दूर-संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण की दशा में कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा—

(क) अध्यक्ष, जब तक कि वह—

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहता हो ; या

(ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहता हो ।

(ख) सदस्य, जब तक कि वह योग्यता, सन्निष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास अर्थशास्त्र, वाणिज्य, चाणित्वा, विधि, वित्त, सेवा-कर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन, दूर-संचार या ऐसे अन्य मामलों जो दूर-संचार विकास समाधान और अपील अधिकरण पर उपयोगी हों में कम से कम पञ्चीस वर्ष विशेष अनुभव और वृत्तिक अनुभव न हो ।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की दशा में, कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा—

(क) अध्याय जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो।

(ख) न्यायिक सदस्य, जब तक कि वह-

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में पाँच वर्षों तक न्यायिक सदस्य न रहा हो; या

(iii) ऐसा अधिकता जिसके पास राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कंपनी कार्य संबंधी मामलों में मुकदमेबाजी का दस वर्षों तक का पर्याप्त अनुभव न रहा हो।

(ग) तकनीकी सदस्य, जब तक कि वह प्रमाणित योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति न हो जिसके पास विधि, औद्योगिक विज्ञान, औद्योगिक प्रबंध या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, विनिर्माण, लेखा कार्य या ऐसे अन्य मामले जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के लिए उपयोगी हों, में कम से कम पच्चीस वर्षों का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव न हो।

(12) उपरोक्त संवोधन अधिनियम, 2019 (2019 का 35) के अधीन राष्ट्रीय उपरोक्त विवाद समाधान आयोग की दशा में कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा-

(क) अध्यक्ष, जब तक कि वह-

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो।

(ख) सदस्य, जब तक कि वह-

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) दस वर्षों की अवधि तक जिला न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में न रहा हो; या

(iii) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास अध्याय, कारखाना, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा-कार्य, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन या ऐसे अन्य मामले जो राष्ट्रीय उपरोक्त विवाद समाधान आयोग के लिए उपयोगी हों, में कम से कम पच्चीस वर्षों का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव न रहा हो।

(13) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन विद्युत अपील अधिकरण की दशा में कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा-

(क) अध्यक्ष, जब तक कि वह-

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो।

(ख) न्यायिक सदस्य, जब तक कि वह-

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) दस वर्षों की सम्मिलित अवधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश के रूप में न रहा हो; या

(iii) ऐसा अधिकता जिसके पास केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष विद्युत संबंधी मामलों में मुकदमेबाजी का दस वर्षों का विशेष अनुभव न हो।

(ग) तकनीकी सदस्य, जब तक कि वह योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास विद्युत उत्पादन, पारेक्षण, वितरण, विनियम, अध्याय कारखाना, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा-कार्य, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन या ऐसे अन्य मामले जो अपील अधिकरण के लिए उपयोगी हों, में कम से कम पच्चीस वर्षों तक का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव न हो।

(14) सभ्यता आन अधिनियम, 2007 (2007 का 55) के अधीन सभ्यता आन अधिकरण की दशा में कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा-

(क) अध्यक्ष, जब तक कि वह-

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(iii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न हो या न रहा हो।

(ख) न्यायिक सदस्य, जब तक कि वह-

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) ऐसा अधिकता जिसके पास केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, संसद वल अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेवा संबंधी मामलों का मुकदमोंवाणी का दस वर्ष का पर्याप्त अनुभव न हो।

(ग) प्रशासनिक सदस्य, जब तक कि-

(i) जिसने सेवा में मेजर जनरल या उससे ऊपर की पंक्ति का पद अथवा सीमांत या वायुसेना में समतुल्य पंक्ति का पद तीन वर्षों की कुल अवधि के लिए धारण किया हो या कर रहा हो; या

(ii) जिसने सेवा या सीमांत अथवा वायु सेना में जब एडवोकेट जनरल के रूप में एक वर्ष से अधिक सेवा न की हो और अथवा: उसकी पंक्ति मेजर जनरल, कोमोडोर और एयर कोमोडोर से अनुपूरु न हो; या

(iii) कोई व्यक्ति जिसमें योग्यता, सन्तुष्टि तथा प्रतिष्ठा हो और जो अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, विधि, चित्त, सेवा-धर्म, संबंध्य, उद्योग, चोक्त-कार्य, प्रशासन या कोई अन्य मामला जो संसद वल अधिकरण के लिए उपयोगी हो में तीन वर्षों से अधिक का विशेष ज्ञान और कुशल अनुभव न रखता हो।

(15) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की दशा में कोई व्यक्ति नियमित के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा

(क) अध्यक्ष के रूप में, जब तक कि वह-

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न हो या न रहा हो।

(ख) न्यायिक सदस्य, जब तक कि -

(i) किसी उच्च न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) दस वर्षों की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश न रहा हो; या

(iii) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, किसी उच्च या उच्चतम न्यायालय में पर्यावरण और वन में संबंधित मामलों में मुकदमोंवाणी के सरचालन अनुभव के साथ दस वर्षों के लिए अधिवक्ता न रहा हो।

(ग) विशेषज्ञ सदस्य, जब तक कि वह-

(i) विज्ञान में डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट डिग्री और प्रख्यात राष्ट्रीय स्तरीय संस्था में वन तथा पर्यावरण (जिसके अंतर्गत प्रदुषण नियंत्रण परिषद/संस्थान पर्याय प्रबंध, पर्यावरण समाधान निहारण, जलवायु परिवर्तन प्रबंध, जैव-वैज्ञान विविधता प्रबंध और पर्यावरण संरक्षण भी है) के क्षेत्र में पांच वर्षों के व्यावहारिक अनुभव सहित सुसंगत क्षेत्र में पच्चीस वर्षों का अनुभव न रखता हो।

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रख्यात संस्था में पर्यावरणीय मामलों के साथ सीधे/अधेरे के पांच वर्षों के अनुभव सहित पच्चीस वर्षों का प्रशासनिक अनुभव न रखता हो।

4. सदस्यों और अध्यक्षों के पदों के लिए चयन,-

(1) समिति धरे जाने वाले सदस्यों के प्रस्तावित पदों का खीरा देते हुए सदस्य सचिव के माध्यम से रिक्ति परिपत्र ऐसे उपांतरण को उचित समझा जाए करने के पश्चात् प्रत्येक 1 में जारी करा जावेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है -

(क) विद्यमान और पानी रिक्तियों की संख्या,

(ख) अर्हताएँ,

(ग) वयस और अल्पे

(घ) अर्पेदन के लिए रूप विधान, और

(ङ) अर्पेदन भरने के लिए अंतिम तारीख।

(2) समिति परिषद के प्रत्यक्ष में ग्राम प्रत्येक आवेदन की प्रकृतियों की जातनीय करेगी या कराएगी और वैक्तिक अन्वेषणों के लिए पात्र अभ्यासियों को ऐसी संख्या में हाटेसिस्ट कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।

(3) अध्यक्ष के पद के लिए समिति या ती रित्तियों का परिषद जारी करा सकेगी और आवेदन मांग सकेगी और/ या नियुक्ति के लिए पात्र उपयुक्त व्यक्तियों की खोज कर सकेगी और अध्यक्ष के पद पर चयन के लिए निर्धारण कर सकेगी।

(4) समिति अभ्यासों की पात्रता के संपूर्ण निर्धारण के आधार पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी जिसके अंतर्गत उपयुक्तता पर ध्यान देने के पश्चात् वैक्तिक अन्वेषणों के माध्यम से निर्धारण पूर्व प्रदर्शन का अधिदेश, निष्पत्तीयता माप ही माप अधिकरण की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए न्यायनिर्णायक अनुभव भी है और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक पद के लिए विषय हेतु चयन किया जाना है जो नाम के पैलर की सिफारिश करेगी।

6. पुनर्नियुक्ति के लिए चयन —

(1) पुनर्नियुक्ति के लिए किसी आवेदन पर उम्मीद रिति में अधिमानतः रित्तिक परिषद या अन्वेषण के प्रत्यक्ष में हाटेसिस्ट किए गए सभी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा, जो रिति मूल नियुक्ति के लिए है।

(2) किसी पद पर उपयुक्तता के लिए निर्धारण करते समय समिति पुनर्नियुक्ति चाहते वाले व्यक्तियों को अधिकरण में उनके अनुभव के लिए अतिरिक्त अधिमान देगी और ऐसा करते समय ऐसे व्यक्ति के अधिकरण के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने समय प्रदर्शन का ध्यान रखेगी।

6. अध्यक्ष और सदस्यों की वैक्तिसीय उपयुक्तता:- कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संबंध में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा वैक्तिसीय रूप से उपयुक्त घोषित नहीं किया गया हो।

7. आकस्मिक रित्तितः— (1) निम्नलिखित के पद में आकस्मिक रित्तित की दशा में,—

(क) अध्यक्ष की दशा में, केन्द्रीय सरकार को उपर्युक्त या उपसभाध्यक्ष या उपसभासक्ति अथवा उसकी अनुपस्थिति में अधिकरण के किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्यवहन करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(ख) कृषि वसूली अथवा अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में, केन्द्रीय सरकार को किसी अन्य कृषि वसूली अथवा अधिकरण के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में कार्यवहन करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(ग) कृषि वसूली अथवा अधिकरण के पीठारिण अधिकारियों की दशा में, कृषि वसूली अधिकरण के अध्यक्ष को किसी अन्य कृषि वसूली अथवा अधिकरण के पीठारिण अधिकारियों के रूप में कार्यवहन करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(घ) राज्य प्रशासक अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में, संबंधित राज्य सरकार को किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्यवहन करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।

अध्याय 3

अध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र या हटाया जाना

8. त्यागपत्र,— अध्यक्ष या सदस्य, किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को लिखित में संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

परंतु अध्यक्ष या सदस्य जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पदभूक्त होना अनुज्ञात नहीं किया जाता है वह ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवधान तक या उत्तराधिकारियों के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद धारण नहीं कर लेता अथवा उसकी पदावधि की समाप्ति तक; इनमें से जो पहले हो, पद धारण करता रहेगा।

9. शिकायतों की जांच करने के लिए प्रक्रिया,— (1) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष या सदस्य के संबंध में उसके पद के कृत्यों के पालन में कदाचार या असमर्थता के किसी विशिष्ट आरोप का अभिकथन करते हुए लिखित शिकायत प्राप्त की जाती है, तो वह ऐसी शिकायत की प्राथमिक जातनीय करेगी।

(2) जहां प्राथमिक जातनीय पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अध्यक्ष या सदस्य के कदाचार या असमर्थता की सत्यता की जांच करने की लिए युक्तियुक्त आधार है तो वह समिति को निर्देश करेगी।

(3) समिति जांच करेगी या किसी व्यक्ति द्वारा जांच कराएगी जो—

(क) जहां जांच अध्यक्ष के विरुद्ध है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है अथवा रहा है, या

(ख) जहां जांच सदस्य के विरुद्ध है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।

- (4) जांच ऐसे समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर पूरी की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिमानतः छह माह के भीतर निर्दिष्ट किया जाए।
- (5) समिति जांच के निष्कर्ष के परन्तु केन्द्रीय सरकार को संपूर्ण मामलों पर ऐसी सीका-टिप्पणियों के साथ जो वह उचित समझे पृथक् रूप से प्रत्येक आरोप पर उसके निष्कर्षों और उस पर के कारणों का उसमें कल्पन करते हुए अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।
- (6) समिति निम्न प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकृत प्रक्रियाओं से बाध नहीं होगी लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी और उसे अपनी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उसकी जांच की शारीक, न्याय और समय नियंत्रण करना भी है, विनियमित करने की शक्ति होगी।

अध्याय 4

वेतन और भत्ते

10. वेतन.—(1) अध्यक्ष को कृषि वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को छोटकर, 2,50,000 रुपये (सिक्का) वेतन प्रतिमाह मंजूर किया जाएगा।
- (2) सदस्य को 2,25,000 रुपये वेतन प्रतिमाह मंजूर किया जाएगा।
- (3) केन्द्रीय सरकार द्वारा सट्टा क्लब वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को 1,44,200-2,18,200 रुपये वेतन मंजूर किया जाएगा।
- (4) किसी व्यक्ति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने की दशा में यदि उसे पेंशन प्राप्त होती है तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल रकम जो पटा दिया जाएगा।
11. भत्ते.— (1) अध्यक्ष और सदस्य ऐसे भत्ते और व्ययों को प्राप्त करने के हकदार होंगे जो भारत सरकार के समान वेतन वाले समूह का पद धारण करने वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय है।
- (2) उन नियम (1) में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी 1 जनवरी, 2021 से अध्यक्ष या सदस्य के पास उपरोक्त प्रकृत नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आवास सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प होगा जबकि वे निम्नलिखित सीमा के अधीन रहते हुए सकल किराए की प्रतिपूर्ति के लिए पास होंगे—
- (क) कृषि वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के सिवाय अध्यक्ष की दशा में एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिमाह, और
- (ख) अधिकरण के सदस्य और कृषि वसूली अधिकरण तथा औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की दशा में एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह।
12. परिवहन भत्ता.—अध्यक्ष या सदस्य स्ट्राफ कार नियमों के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार में समूह का पद धारण करने वाले समान वेतन वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय सुविधाओं के अनुसार आसानीय और निजी प्रयोजनों के लिए वाता हेतु स्ट्राफ कार की सुविधा के लिए हकदार होंगे।

अध्याय 5

पेंशन, भविष्य निधि, उपदान और छुट्टी

13. पेंशन, भविष्य निधि और उपदान.—(1) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या किसी समतुल्य सेवा के सदस्य को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने की दशा में, अधिकरण की सेवा, उस सेवा जिससे वह संबंधित है के नियमों के अनुसार पेंशन आहरित किए जाने के लिए गणना में ली जाएगी और यथास्थिति साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1980 या अंतर्दायी पेंशन प्रणाली तथा उसे लागू पेंशन के लिए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगी।
- (2) अन्य सभी मामलों में, सदस्य यथास्थिति अंतर्दायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 या अंतर्दायी पेंशन प्रणाली के उपबंधों द्वारा शासित होगी।
- (3) अधिकरण से की गई सेवाओं के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगी।

14. छुट्टी.—(1) अध्यक्ष या सदस्य प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए तीन अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे ।
 (2) किसी कैलेंडर वर्ष में अध्यक्ष या सदस्य को अष्ट से अधिक आकस्मिक छुट्टी प्रदान नहीं की जा सकेगी ।
 (3) छुट्टी के दौरान, छुट्टी केतन का संचालन केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी), नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगी ।
 (4) अध्यक्ष या सदस्य इस शर्त के अधीन रहते हुए, इसके तहत से विद्यमान अर्जित छुट्टी की बाबत छुट्टी भुनाने का हकदार होगा कि अधिकतम छुट्टी भुनाना जिसके अंतर्गत पूर्व सेवा में सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त रकम भी है, किसी भी दशा में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अर्जित विहित सीमा से अधिक नहीं होगी ।
 (5) छुट्टी स्वीकृत करने वाला अधिकारी निम्नानुसार होगा—
 (क) अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष;
 (ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में, राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष या राज्य प्रशासनिक के अध्यक्ष के लिए संबंधित राज्य सरकार और
 (ग) सब (ख) में समाहित से रिक्त की दशा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष या सदस्य के लिए केन्द्रीय सरकार ।
 (6) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष या सदस्यों की विदेश यात्रा के लिए संपूर्ण प्राधिकारी होगा ।

अध्याय 6

धर्तीर्ण

15. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा.— अध्यक्ष या सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले अपनी आसितियों और अपने दायित्वों और वित्तीय तथा अन्य हितों की घोषणा करेगा ।
 16. सेवा की अन्य शर्तें.—(1) अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा के नियोजन और अन्य शर्तों विसुक्त लिए इन नियमों में स्पष्ट उपाबंध नहीं बनाए गए हैं ऐसी शर्तों जो समुक्त 'क' पद धारण करते वाले भारत सरकार के समान केतन वाले अधिकारियों को अनुसंग हैं ।
 (2) अध्यक्ष या सदस्य इस अधिकरण की सेवाओं में सेवानिवृत्ति के पश्चात् अधिकरण के समक्ष कोई आवसाव नहीं करेगा ।
 (3) अध्यक्ष या सदस्य अधिकरण में इन क्षमताओं से कार्य करते समय कोई माध्यस्वम् समनुदेगत नहीं करेगा ।
 (4) अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य इस शर्तों से जिसको वह पद पर बना नहीं रहता है वो वर्ष की अवधि के लिए कोई नियोजन किसी व्यक्ति जो अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का पक्षकार है के अर्ध या प्रशासन में या उसमें संसक्त नियोजन स्वीकार नहीं करेगा ।

परन्तु इस नियम में अंतर्भूत कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या किसी कानूनी अधिकरण या केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी नियम या कानूनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में तथा परिभाषित सरकारी कर्मी के अधीन किसी नियोजन को लागु नहीं होगा ।

17. पद और गोपनीयता की शपथ.— अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले इन नियमों में उपाबंध प्रकृत 2 और प्रकृत 3 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा ।

प्रकरण।

(निबन्ध 4 देखें)

[आवेदन के प्रकरण सहित रिक्ति परिपत्र का प्रकरण]

क्र. नं.

भारत सरकार

_____ मंत्रालय

_____ विभाग

कमरा नं. _____

नई दिल्ली-110001

दिनांक: _____

रिक्ति परिपत्र

विषय:- _____ अधिकरण में अध्यक्ष/सदस्य के पदों के लिए चयन-संबंधी।

1. **अधिकरण:-** (अधिकरण का नाम) _____ अधिकरण, _____ अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक राष्ट्रीय अधिकरण है जो अधिनियम _____ के तहत विभिन्न क्षेत्रों की सुनवाई करता है। _____ का मुख्यालय _____ में स्थित है तथा इसके क्षेत्रीय स्थापनाओं में स्थित हैं। सदस्य, को चयन के पश्चात् इनमें से किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है।

2. **रिक्ति:-** निम्नलिखित विद्यमान और _____ प्रत्याशित रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

पद	स्थात	रिक्ति की जागीर

3. **योग्यता:-** अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, पात्रता, वेतन और अन्य नियंत्रण व शर्तें, अधिकरण (सेवा) की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों के अधीन होगी।

4. **चयन की प्रक्रिया:-** उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए अधिकरण सूचारु अधिनियम, 2021 के तहत गठित छोट्ट सत्र-चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता और अनुभव को समुचित महत्त्व देने हुए पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की छानबीन करेगी और वैयक्तिक परम्पर विचार-विमर्श करने के लिए अभ्यर्थियों को बुलेगी। योग्यता, अनुभव और वैयक्तिक विचार-विमर्श के आधार पर समिति द्वारा व्यापक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

5. **आवेदन की प्रक्रिया:-** योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन उचित माध्यम (कहा नहीं लागू हो) द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं और जिसके साथ (i) अनुबंध - I पर दिए प्रपत्र में जीकत च्वात (ii) अनुबंध - II में दिए गए नियंत्रण/कार्यालय/व्यवस्थापक प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाला प्रमाणपत्र (iii) अधिकारी के अद्यतन बीजाग/पीए/आर की स्पष्ट प्रतिनिधियां जिनमें किसी समूह के अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित गिहने पांच वर्षों की सीआर/पीए/आर

शामिल हों (iv) सबसे सतर्कता (v) अनुबंध- III में सतर्कता एवं अनुशासनिक कोण में सर्वनिश्चय प्रमाणपत्र/निकासी (vi) विगत इस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई छोटी या बड़ी शक्तियों, यदि कोई है, का विस्तृत विवरण, मिश्रित/विच्छिन्न भू पर भेज दिया जाए, ताकि इस कार्यालय में _____ तक पहुँच जाए।

[नम्ब और पत्र]

6. साक्षात्कार/परस्पर विचार विमर्श के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई बाधा/महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. विज्ञापन और नियोजित आवेदन प्रपत्र मंत्रालय/अधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. अंतिम तारीख के बाद प्राप्त और उपर्युक्त उल्लिखित आवश्यक अनुबंध के बिना प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सभी संगठनों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में विस्तार से प्रचार किया जाए ताकि शीघ्र और इष्टतम संख्या में आवेदन प्राप्त हो सकें।

(हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम)
सचिव, भारत सरकार/निदेशक

अनुलक्षण-1

प्रपत्र

उम्मीदवार द्वारा
बिबिधता
हस्ताक्षर हेतु
स्थान

1. नाम :
2. जन्म तिथि :
3. चर्च (एससी/एलटी/ओबीसी/पूज्य) :
4. पदनाम/व्यवस्था :
5. संपर्क विवरण :

	आवर्ती		अधिकारिक
	वर्तमान	स्थायी	
पता			
मोबाइल/फोन नं.			
ईमेल:			

6. संबन्ध/सेवा [जहाँ कहीं लागू हो]

7. शैक्षिक योग्यता (उत्कृष्ट कालानुक्रम में)

क्रम संख्या	विश्व विद्यालय /समकक्ष संस्थान का नाम	दिवसी	उत्तीर्ण करने का वर्ष	ग्राम अंकों का प्रतिशत (%)	शैक्षणिक योग्यता	विषय/विलोपयता

8. कार्य का अनुभव:

8क) वर्तमान रोजगार से शुरू करने हुए कालानुक्रम में कर्मचारी के रूप में अनुभव का रिकॉर्ड, उत्कृष्ट में बताएं-

क्रम संख्या	विवेचना का नाम एवं पता (सरकार/पीएसयू/संस्थान/विभाग/बोर्ड अन्य)	पदनामावितन वा तत्समान (केवल मैट्रिक्स में केवल)*	सेवा की अवधि		कार्य की प्रकृति/अनुभव
			दिनांक से	तक	

*साथ ही ऊपर क्रम से इलाह की अपर सचिव/जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/मिस्टर जनरल (अदालत के तहत वैसा भी लागू हो) जगता इसमें ऊपर के समकक्ष हो।

8ख) वर्तमान-व्यवस्था से शुरू करने हुए कालानुक्रम में वैध अनुभव का रिकॉर्ड, उत्कृष्ट में बताएं-

क्रम संख्या	व्यवस्था का विवरण	सेवा की अवधि		विशेष कार्य की प्रकृति*
		से	तक	

*जैसे पभासन /सेवा मामले /न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक /सांख्यिक /सिविल /कर-सिधारेण /कानूनी मामले /पर्यावरण संबंधी मामले /वित्त /सेवा /अर्थशास्त्र /व्यवसाय /वाणिज्य /प्रबंधन /सार्वजनिक मामले अथवा कोई अन्य, वैसा भी लागू हो/ सरकार के शासक नियोजन, यदि कोई हो, को इलाहया जाए।

9. भारत सरकार के अग्र सचिव/ :
जिला न्यायाधीश/अग्र जिला न्यायाधीश/
मेजर जनरल अथवा कोई अन्य समकक्ष
रैंक (जहां कहीं लागू हो) के अंश में वेदनामाला
प्राप्त करने की तिथि
10. आवेदक के न्याय निर्णयन अनुभव पर :
आवेद (200 शब्दों में)
(जहां कहीं पर लागू हो)
11. संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकारियों के : :
समस्त मामलों के मंचालन में संज्ञित : :
अनुभव (यदि लागू हो) : :
ऐसे मामलों का विवरण :
(रिपोर्ट किए गए मामले/मामले जिनकी रिपोर्ट नहीं हुई) विवरण सहित
12. अनुभव का प्रमाण, जिसमें अधिवक्ता/कार्टर/आकॉउंटेंट : :
आदि के रूप में सामांजन सं/पदीकृत सं. शामिल हो। : :
[सरकारी या न्यायिक अधिकारियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए]
13. वार्षिक आय, जिसके साथ अद्यतन आयकर विवरणिका : :
हो [सरकारी या न्यायिक अधिकारियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों : :
के लिए]
14. मुक्त उपलब्धियों पर 05 आवेद [200 शब्द प्रत्येक] : :
15. पुरस्कार/सम्मान/प्रकाशन, यदि कोई हो, : :
16. राजनैतिक एवं सहाय आचारायिक निधियों/संस्थानों/ : :
सोसाइटियों/किरी-अन्य निकाय के साथ संबंधना : :
17. कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका पर के लिए : :
किए गए आवेदन के सम्बंध में उल्लेख करना चाहें। : :

श्रीपणा

1. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही एवं पूर्ण है तथा इनमें कुछ भी छिपावा/बिगड़ित नहीं किया गया है। यदि किसी समय मेरे द्वारा किसी सामंजस्य सूचना को छिपाते/बिगड़ित किए जाने का ज्ञान होगा तो मेरी उम्मीदवारी/संवर्ण किसी प्रकार के नैतिक के बिना तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
2. चयन समिति की बैठक के बाद मैं अपनी अभ्यर्णित को वापस नहीं लूंगा।
3. नियुक्ति के लिए एसीसी द्वारा चयनित किए जाने पर मैं नियुक्ति को मना नहीं करूंगा।
4. मैं नियुक्ति के आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करूंगा।
5. मैं इसे जानता हूँ कि यदि मैं क्रम सं 2 से 4 में उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करूंगा तो भारत सरकार द्वारा मुझे संवर्ण-साहाय्य तथा किसी न्यायिक निकाय/सांविधिक निकाय तथा विनियामक निकाय में नियुक्ति हेतु विचार के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

न्याय

दिनांक:

अभ्यर्णों के प्रस्तावर

अनुसूचक-ii

नियोजक/कार्यालय प्रमुख/अपेक्ष प्रधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ द्वारा दिया गया विवरण सही है तथा उनके पास अनुसूचक- i में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव हैं।
2. वह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके विरुद्ध कोई मरकता/अनुशासनात्मक मामला खोला या विचारधीन नहीं है और सीपीओ द्वारा संलग्न अनुसूचक (iii) में मरकता संकृति जारी की गई है।
3. उनका/उनकी सार्वजनिक प्रमाणित की गई है।
4. पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पर कोई भ्रष्टाचार या मामूली दुर्भावना नहीं बनाया गया।
5. पिछले वर्षों के एसीआर/एपीएआर के तर्कसंगत सार्वजनिक फोटोस्टेट प्रतियां (एसीआर/एपीएआर की प्रत्येक फोटोस्टेट प्रति साक्ष्यकृत होती चाहिए) श्री/श्रीमती/कुमारी के संबंध _____ के संबंध में उनके पास संलग्न है।

संबंधी नियंत्रण प्रधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर

अनुसूचक-iii

उस अधिकारी का विवरण जिसके लिए सार्वजनिक भिक्सायी मांगी जा रही है।
(मुख्य सार्वजनिक अधिकारी अथवा विभाग के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर सहित दिया जाता)

1. अधिकारी का नाम (पूरा नाम) :
2. पता का माध्यम :
3. जन्म तिथि :
4. सेवा नियुक्ति की तारीख :
5. सेवा में प्रवेश की तारीख :
6. अधिकारी किस सेवा से संबंधित है, (विशेष, वैभ/वर्ष/सर्वसे आदि जहाँ कहीं लागू हो, बताया जाए) :
7. धारित पद (पूर्ववर्ती दस वर्षों के दौरान) :

क्र.सं.	संघटन (पुरा नाम)	पदनाम तथा तैनाती का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/वैयक्तिक संभाग/विभाग का नाम (सीएसयू आदि के अधिकारियों के मामले में)	से	तक

8. क्या अधिकारी को सदस्य सत्यनिष्ठा की सहमत सूची या अधिकारी सूची में रखा गया है। (यदि हाँ, तो विवरण दिया जाए) :
9. क्या अधिकारी के विरुद्ध पिछले 10 वर्षों के दौरान सतर्कता वृष्टि सहित किसी कदाचार के आरोप की जांच की गई है। यदि हाँ तो फैसला क्या था (*) :
10. क्या अधिकारी को पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई सजा भी गई है, यदि हाँ तो उसकी तारीख तथा दर(*) का विवरण :
11. क्या अधिकारी के विरुद्ध आज भी तारीख में कोई अनुशासनमूलक/दांडिक कार्रवाई या चाटौलीए संबंधित है। (यदि हाँ, तो संदर्भ संख्या, यदि किसी भी आरोप के, सहित विवरण दे) :
12. क्या अधिकारी के विरुद्ध आज भी तारीख में कोई कार्रवाई विचारधीन है। (यदि हाँ तो विवरण दे) (*) :

(*) यदि विगत समय में आरोप से सतर्कता विचारों प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधि के लिए सूचना उपलब्ध करें।

तारीख:

(नाम और इलाका)

प्रकाश II

(नियम 17 देखें)

अध्यक्ष/सदस्य (अधिकरण का नाम) के लिए पद की शपथ का प्रकाश

मैं, ए.बी., के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हूँ (अधिकरण का नाम सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ या मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अध्यक्ष/सदस्य (अधिकरण का नाम) के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी और कांशनिष्ठता से बिना किसी डर या पक्षपात, भेद या द्वेष के अपनी समस्त, ज्ञान और निर्णय के अनुसार करेंगा/करेंगी और मैं सचिधान और कानून की प्रवृत्तियों को बचाए रखूँगा/रखूँगी।

प्रकाश III

(नियम 17 देखें)

अध्यक्ष/सदस्य (अधिकरण का नाम) के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रकाश

मैं, ए.बी., (गोपनीयता का नाम) के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त होने के पश्चात्, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ या मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अध्यक्ष या पर्यवेक्षक के रूप में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई भी बात जिसे मेरे विचार के अधीन लाया जाएगा या मुझे अध्यक्ष/सदस्य/उक्त (अधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक होने के लिए प्राप्त होगा, नहीं बताऊँगी या प्रकट करूँगी।

{फा.सं.ए-50050/9/2016-प्रका. 1 सी (सीईएमटीएटी) (भाग-1)}

कान्तिरु पाटे, सयुक्त सचिव

राष्ट्रीयकारक जापन

नियम 11, 2020 के कानूनपूरी (सी) संख्या 804 में भारत के भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रभावी करने के लिए 1 जनवरी, 2021 से पूर्वव्यापी प्रचालन देता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पूर्वव्यापी प्रचालन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2021

G.S.R. 635 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Tribunal Reforms Act, 2021 (35 of 2021) and in supersession of the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I
PRELIMINARY**1. Short title, commencement and application.**—

- (1) These rules may be called the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021.
- (2) Save as provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These rules shall apply to the Chairperson and Member of the Tribunal as specified in column (2) of the First Schedule of the Tribunal Reforms Act, 2021 (33 of 2021).

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires, - (a) "Act" means an Act specified in column (3) of the First Schedule to the Tribunal Reforms Act, 2021 (33 of 2021);

- (b) "Chairperson" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of the section 2 of the Act;
- (c) "Committee" means the Search-cum-Selection Committee referred to in sub-section (3) of section 3 of the Act;
- (d) "Member" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of the section 2 of the Act;
- (e) "Tribunal" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 2 of the Act;
- (f) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the respective Acts.

CHAPTER II
APPOINTMENT OF CHAIRPERSON AND MEMBER

3. Qualifications.— (1) In case of Industrial Tribunal under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), a person shall not be qualified for appointment as *Presiding Officer*, unless he:—

- (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or
- (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge.

(2) In case of Income-tax Appellate Tribunal under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), a person shall not be qualified for appointment as:—

- (a) *President* unless he is a sitting or retired Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court or a Vice-President of the Income-tax Appellate Tribunal;
- (b) *Vice-President*, unless he has been a Member; and
- (c) *Judicial Member*, unless,—
 - (i) he has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or
 - (ii) he has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or higher post for two years; or
 - (iii) he has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under Income-tax laws in Income-tax Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court;
- (d) *Accountant Member*, unless,—
 - (i) he has for twenty-five years been in the practice of accountancy,—
 - (A) as a chartered accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or
 - (B) as a registered accountant under any law formerly in force; or partly as such registered accountant and partly as a chartered accountant; or

(ii) he has been a member of the Indian Revenue Service (Income-tax Service Group 'A') and has held the post of Principal Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.

(3) In case of Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal under the Customs Act, 1962 (52 of 1962), a person shall not be qualified for appointment as:-

(a) *President* unless,—

(i) he is, or has been, a Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court; or

(ii) he is the member of the Appellate Tribunal;

(b) *Judicial Member*, unless,—

(i) he has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(ii) he has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or higher post for two years; or

(iii) he has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under indirect tax laws in Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court;

(c) *Technical Member*, unless he has been a member of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise Service Group 'A') and has held the post of Principal Commissioner of Customs or Central Excise or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.

(4) In case of Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), a person shall not be qualified for appointment as:-

(a) *Chairman*, unless he is, or has been, a Judge of a Supreme Court or Chief Justice of a High Court;

(b) *Member*, unless he has held the post of Additional Secretary to the Government of India or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.

(5) In case of Tribunals under the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985), a person shall not be qualified for appointment as:-

(a) *Chairman*, unless he,—

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) has, for a period of not less than three years, held office as Administrative Member or Judicial Member in the Central Administrative Tribunal.

(b) *Judicial Member*, unless he,—

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) has held the post of Additional Secretary to the Government of India or any equivalent or higher post in the Department of Legal Affairs or the Legislative Department including Member-Secretary, Law Commission of India; or

(iii) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(iv) has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court.

(c) *Administrative Member*, unless he has held the post of Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central Government or a State Government and carrying the scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India.

Provided that the officers belonging to the All-India services who were or are on Central deputation to a lower post shall be deemed to have held the post of Additional Secretary from the date such officers were granted proforma promotion or actual promotion whichever is earlier to the level of Additional Secretary and the period spent on Central deputation after such date shall count for qualifying service for the purpose of this clause.

(6) In case of Railway Claims Tribunal under the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), a person shall not be qualified for appointment as—

- (a) *Chairman*, unless he, —
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairman, Judicial Member or Technical Member, as the case may be.
- (b) *Vice-Chairman (Judicial)*, unless he, —
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or any higher post; or
 - (iii) has, for two years, held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India; or
 - (iv) has, for a period of not less than three years, held office as a Judicial Member.
- (c) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Technical), unless he, —
 - (i) has, for a period of not less than three years, held office as a Technical Member; or
 - (ii) has, for two years, held a post under a railway administration carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India and has adequate knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways.
- (d) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless he, —
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or
 - (iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in claim settlements pertaining to damage to life and property in Railway Claims Tribunal, High Court or Supreme Court.
- (e) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways of not less than twenty-five years.

(7) In case of Securities Appellate Tribunal under the Securities Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), a person shall not be qualified for appointment as,—

- (a) *Presiding Officer* unless he is, or has been, a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court;
- (b) *Judicial Member* unless,—
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to financial sector before Securities Exchange Board of India, Securities Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court.
- (c) *Technical Member* unless,—
 - (i) has held the post of Additional Secretary in the Ministry or Department of the Central Government or any equivalent or higher post in the Central Government or a State Government; or
 - (ii) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in financial sectors including securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance.

Provided that a Member or Part time Member of the Board or the Insurance Regulatory and Development Authority or the Pension Fund Regulatory and Development Authority, or any person at senior management level equivalent to Executive Director in the Board or in such Authorities, shall not be appointed as Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal, during his service or tenure

as such with the Board or with such Authorities, as the case may be, or within two years from the date on which he ceases to hold office as such in the Board or in such Authorities:

Provided further that the Presiding Officer or Member shall be a person who does not have any financial or other interest as are likely to prejudicially affect their functions as such Presiding Officer or Member.

(8) In case of Debts Recovery Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), a person shall not be qualified for appointment as *Presiding Officer* of the Debts Recovery Tribunal, unless he is, or has been, a District Judge.

(9) In case of Debts Recovery Appellate Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), a person shall not be qualified for appointment as *Chairperson*, unless he, —

- (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or
- (b) has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or any higher post; or
- (c) has held office as the Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal for three years.

(10) In case of Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), a person shall not be qualified for appointment as, —

- (a) *Chairperson*, unless he, —
 - (i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or
 - (ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court.
- (b) *Member* unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.

(11) In case of National Company Law Appellate Tribunal under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), a person shall not be qualified for appointment as, —

- (a) *Chairperson* unless he is, or has been, a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court;
- (b) *Judicial Member* unless he, —
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) is a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years; or
 - (iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to company affairs before National Company Law Tribunal, National Company Law Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court.
- (c) *Technical Member* unless he is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment, accountancy or any other matter which is useful to the National Company Law Appellate Tribunal.

(12) In case of National Consumer Disputes Redressal Commission under the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), a person shall not be qualified for appointment as, —

- (a) *President*, unless he, —
 - (i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or
 - (ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court.
- (b) *Member* unless he, —
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or
 - (iii) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law,

finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission.

(13) In case of Appellate Tribunal for Electricity under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), a person shall not be qualified for appointment as,—

- (a) *Chairperson*, unless he,—
 - (i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or
 - (ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court.
- (b) *Judicial Member*, unless he,—
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or
 - (iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to power sector before Central Electricity Regulatory Commission, State Electricity Regulatory Commission, Appellate Tribunal for Electricity, High Court or Supreme Court.
- (c) *Technical Member* unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in matters dealing with electricity generation, transmission, distribution, regulation, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which is useful to the Appellate Tribunal.

(14) In case of Armed Forces Tribunal under the Armed Forces Act, 2007 (55 of 2007), a person shall not be qualified for appointment as,—

- (a) *Chairperson*, unless he,—
 - (i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or
 - (ii) is, or has been, a Chief Justice of a High Court.
- (b) *Judicial Member* unless he is—
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court.
- (c) *Administrative Member*, unless he,—
 - (i) has held or has been holding the rank of Major General or above for a total period of three years in the Army or equivalent rank in the Navy or the Air Force; or
 - (ii) has served for not less than one year as Judge Advocate General in the Army or the Navy or the Air Force, and is not below the rank of Major General, Commodore and Air Commodore respectively; or
 - (iii) is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of not less than thirty years in, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter useful to the Armed Forces Tribunal.

(15) In case of National Green Tribunal under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), a person shall not be qualified for appointment as,—

- (a) *Chairperson*, unless he,—
 - (i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or
 - (ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court.
- (b) *Judicial Member*, unless he,—
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

- (ii) has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation in matters relating to environment and forest in National Green Tribunal, High Court or Supreme Court.
- (c) *Expert Member*, unless he, —
- (i) has a degree or Post-graduation degree or Doctorate Degree in Science and has an experience of twenty-five years in the relevant field including five years' practical experience in the field of environment and forests (including pollution control, hazardous substance management, environment impact assessment, climate change management, biological diversity management and forest conservation) in a reputed National level institution; or
- (ii) has administrative experience of twenty years including experience of five years in dealing with environmental matters in the Central Government or a State Government or in a reputed National or State level institution.

4. Selection for posts of Members and Chairpersons.— (1) The Committee may cause a vacancy circular to be issued through the Member-Secretary, giving details of the posts of Members proposed to be filled up, including the following—

- (a) number of existing and anticipated vacancies;
- (b) qualifications;
- (c) salary and allowances;
- (d) format for application; and
- (e) last date for filing of applications.

in Form-I after making such modifications as may be deemed fit.

(2) The Committee shall scrutinise, or cause to be scrutinised, every application received in response to the circular, against the qualifications and may shortlist such number of eligible candidates for personal interaction as it may deem fit.

(3) For the post of Chairperson, the Committee may, either cause a vacancy circular to be issued and call for applications or search for suitable persons eligible for appointment and make an assessment for selection to the post of Chairperson.

(4) The Committee shall make its recommendations based on the overall assessment of eligible candidates including assessment through the personal interaction after taking into account the suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience keeping in view the requirements of the Tribunal and shall recommend a panel of two names for every post for which selection is being done in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 3 of the Act.

5. Selection for re-appointment.— (1) An application for re-appointment shall be considered in the same manner as that for the original appointment, preferably, alongwith all the persons shortlisted in response to the vacancy circular or otherwise.

(2) While making its assessment for suitability to a post, the Committee shall give additional weightage to the persons seeking re-appointment for their experience in the Tribunal and while doing so, shall take into account, the performance of the person while working as a Member or a Chairman in the Tribunal.

6. Medical fitness of Chairperson and Member.— No person shall be appointed as the Chairperson or Member of the Tribunal unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf.

7. Casual vacancy.— In case of a casual vacancy in the office of,—

- (a) the Chairperson, Central Government may appoint one of the Vice-Chairpersons or Vice-Chairman, Vice-Presidents or in their absence, one of the Members of the Tribunal, to officiate as Chairperson;
- (b) the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, the Central Government may appoint the Chairperson of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Chairperson;
- (c) the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal may appoint the Presiding Officer of another Debts Recovery Tribunal to officiate as Presiding Officer;
- (d) the Chairperson of the State Administrative Tribunals, the respective State Government may appoint one of the Members to officiate as Chairperson.

CHAPTER III RESIGNATION OR REMOVAL OF CHAIRPERSON OR MEMBER

8. Resignation.— Chairperson or Member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time:

Provided that the Chairperson or Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is earlier.

9. Procedure for inquiry into complaints.— (1) Where a written complaint alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Chairperson or Member is received by the Central Government, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) Where, on preliminary scrutiny, the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Chairperson or Member, it shall make a reference to the Committee.

(3) The Committee shall conduct an inquiry or cause an inquiry to be conducted by a person who is, or has been,

- (a) Judge of Supreme Court or Chief Justice of a High Court, where the inquiry is against a Chairperson; or
- (b) Judge of a High Court, where the inquiry is against a Member.

(4) The inquiry shall be completed within such time or such further time as may be specified by the Central Government preferable within six months.

(5) After the conclusion of the inquiry, the Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons thereof on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(6) The Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

CHAPTER IV SALARY AND ALLOWANCES

10. Salary.— (1) The Chairperson, except for the Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal and Presiding Officer of the Industrial Tribunal shall, be paid a salary of Rs. two lakh fifty thousand (fixed) per month.

(2) The Member shall be paid a salary of Rs. two lakh twenty-five thousand per month.

(3) A Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal or a Presiding Officer of the Industrial Tribunal constituted by the Central Government shall be paid a salary in the pay level of Rs. 1,44,300 – 2,18,200.

(4) In case of a person appointed as the Chairperson, or Member, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

11. Allowances.— (1) The Chairpersons and Members shall be entitled to draw allowances and benefits as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), with effect from the 1st January, 2021, the Chairperson or Members shall have option to avail of accommodation to be provided by the Central Government as per the rules for the time being in force or shall be eligible for reimbursement of home rent subject to a limit of -

- (a) one lakh fifty thousand rupees per month in case of Chairperson, except for the Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal and Presiding Officer of the Industrial Tribunal; and
- (b) one lakh twenty-five thousand rupees per month in case of Members of Tribunals and Presiding Officers of Debts Recovery Tribunal and the Industrial Tribunal.

12. Transport allowance.— The Chairperson, or Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the facilities as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay as per the provisions of Staff Car Rules.

CHAPTER V PENSION, PROVIDENT FUND, GRATUITY AND LEAVE

13. Pension, Provident Fund and Gratuity.— (1) In case of a serving Judge of the Supreme Court or a High Court or a Member of an organised Service appointed as the Chairperson or Member, the service in the Tribunal shall count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs and he shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 or the Contribution Pension System, as the case may be, and the rules for pension applicable to him.

(2) In all other cases, the Member shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 or the Contribution Pension System, as the case may be.

(3) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Tribunal.

14. Leave. (1) The Chairperson or a Member shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service.

(2) Casual Leave not exceeding eight days may be granted to the Chairperson or a Member in a calendar year.

(3) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(4) The Chairperson or Member shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

(5) Leave sanctioning authority for the—

(a) Member, shall be Chairperson;

(b) Chairperson of the State Administrative Tribunal or Members of State Administrative Tribunal in case of absence of Chairpersons, shall be the respective State Government; and

(c) Chairperson or Member in case of absence of Chairperson, in cases other than covered in clause (b), shall be the Central Government.

(6) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Chairperson, or a Member.

CHAPTER VI MISCELLANEOUS

15. Declaration of Financial and other Interests.— The Chairperson, or Member shall, before entering upon his office, declare his assets, and his liabilities and financial and other interests.

16. Other conditions of service.— (1) The terms and conditions of service of a Chairperson, or Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(2) The Chairperson, or Member shall not practice before the Tribunal, after retirement from the service of that Tribunal.

(3) The Chairperson, or Member shall not undertake any arbitration assignment while functioning in these capacities in the Tribunal.

(4) The Chairperson, or Member of the Tribunal, shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Tribunal:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (43) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

17. Oath of office and secrecy.— Every person appointed to be the Chairperson, or Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Forms II and III annexed to these rules.

FORM I

(See rule 4)

[Format for vacancy circular including the format for application]

F. No. _____

Government of India

Ministry of _____

Department of _____

Room No. _____

New Delhi-110001

Dated, the _____

Vacancy Circular**Subject: - Selection for the posts of Chairperson/Member in _____ Tribunal-reg.**

1. **Tribunal:** - The _____ (Name of the Tribunal) _____ Tribunal is an Appellate authority established under _____ Act, _____ to bear various appeals under the _____ Act. _____ headquarter is situated at _____ and its regional Benches are situated at _____ A Member, upon selection, may be posted at any of these places.

2. **Vacancy:** - Applications are being invited for the following existing and _____ anticipated vacancies:

Post	Place	Date of Vacancy

3. **Qualification:** - The qualifications, eligibility, salary and other terms and conditions of the appointment of a candidate will be governed by the provisions of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021.

4. **Procedure for selection:** - The Search-Cum-Selection Committee constituted under the Tribunal Reforms Act 2021 for recommending names for appointment to the said post shall scrutinise the applications with respect to suitability of application for the posts by giving due weightage to qualification and experience of candidates and shortlist candidates for conducting personal interaction. The final selection will be done on the basis of overall evaluation of candidates done by the Committee based on the qualification, experience and personal interaction.

5. **Application Procedure:** - Applications of eligible and willing officers are requested through proper channel (wherever applicable) and are accompanied with (i) bio-data in the proforma at Annexure-I (ii) Certificate to be furnished by the employer/ head of office/ forwarding authority as in Annexure-II (iii) clear photocopies of the up-to-date CR/APAR dossier of the officer containing CR/APARs of at least last five years duly attested by a Group A officer (iv) cadre clearance (v) integrity certificate/clearance from vigilance and disciplinary angle as in Annexure-III (vi) statement giving details of major or minor penalties, if any, imposed on the officer during the last ten years, to the following address, so as to reach this office latest by _____.

[Name and Address]

Applicants can Log on to <http://>_____ to access the home page of the Online Application to apply (wherever applicable).

6. No TA/DA will be admissible to the candidates to be called for interview/intezaction. The candidates are required to make own arrangements.
7. Advertisement and Prescribed application form can be downloaded from Ministry's/Tribunal's website (name of the website).
8. Any application received after due date without necessary Annexure as mentioned above will not be entertained.

Wide publicity may be given in all organizations and their field formations to facilitate early and optimum number of application.

(Name of the Signing Officer)

Under Secretary to the Govt. of India/Director

Annexure-I

PROFORMA

Space for
photograph
duly signed by
candidate

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Name | : | |
| 2. Date of Birth | : | |
| 3. Category(SC/ST/OBC/UR) | : | |
| 4. Designation/Profession | : | |
| 5. Contact Details | : | |

	Residential		Official
	Present	Permanent	
Address:			
Mobile/Phone No.			
Email:			

6. Cadre/Service (Wherever applicable)

7. Educational qualification (in reverse chronological order):

Sl. No.	Name of University/ Equivalent Institution	Degree	Year of passing	Division/ % of marks obtained	Academic Distinction	Subject/ Specialization

8. Work Experience:

8A. For the experience as employee, Employment record in chronological order starting with present Employment, list in reverse:

Sl. No.	Name & address of employer (Govt./PSU/Ministry/ Department/any other)	Designation, Pay or Scale of pay (Pay in Pay Matrix)*	Period of Service		Nature of work/experience
			From	To	

*Also indicate Sl. No. in above, which is equivalent to Additional Secretary/District Judge/Additional District Judge/Major General (as applicable under the qualification) or above.

8B. For the experience as Professional record in chronological order starting with present Engagement, list in reverse:

Sl. No.	Details of Profession	Period of Service		Nature of work done*
		From	To	

*Such as Administration /Service matters /Judicial or Quasi-Judicial /Criminal /Civil /Taxation /Company Affairs /Environmental matters /Finance /Accountancy /Economics /Business /Commerce /Management /Public Affairs or any other as may be applicable. Engagement with Government, if any, may be indicated.

9. Date from which drawing the pay scale in the grade of Additional Secretary/ District Judge/ Additional District Judge/ Major General in the Government of India or any equivalent rank (wherever applicable).
10. Write up on adjudicating experience of the applicant (200 words) [Wherever applicable]
11. Experience alongwith brief write up in handling Cases before relevant Courts/Tribunals; (if applicable) Details of Such cases (Reported Cases/UnreportedCases)
12. Proof of Experience, including Enrolment/Registration No. As an Advocate/CA etc. [For candidates other than Govt. or Judicial officers]
13. Annual Income along with copy of latest ITR [For Candidates other than Govt. or Judicial Officers]
14. Write up on 05, major achievement (200 words each)
15. Awards/honours/Publications, if any
16. Affiliation with the professional bodies/ Institutions/societies or any other body including political party.
17. Additional information, if any, which You would like to mention in support of the application for the post.

DECLARATION

1. I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of knowledge and belief and nothing has been concealed/distorted. If at any time I found to have concealed/distorted any material information; my appointment shall be liable to summary termination without notice.
2. I shall not withdraw my candidature after the meeting of the Selection Committee.

3. I shall not decline the appointment, if selected for appointment by the ACC.
4. I shall join within 30 days from the date of issue of order of appointment.
5. I am aware that in case I violate any of the conditions mentioned in SI No.2 to 4, the Government of India is likely to debar me for a period of three years for consideration for appointment outside the cadre and in any Autonomous Body/Statutory Body/Regulatory Body.

Place :-

Date:

Signature of the candidate

Annexure-II

CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE EMPLOYER/HEAD OF OFFICE/FORWARDING AUTHORITY

1. Certified that the particulars furnished by Shri/Smt/Kum-----are correct and he/she possesses educational qualifications and experience mentioned in Annexure-I.
2. It is also certified that there is no vigilance/ disciplinary case either pending or being contemplated against him/her and vigilance clearance issued by CVO in the enclosed Annexure (III).
3. His/her integrity is certified.
4. No major or minor penalty was imposed on Shri/Smt/Kum-----during the last 10 years period.
5. The up-to-date attested Photostat copies of ACR/APAR of last years (each Photostat copy of ACR/APAR should be attested) in respect of Shri/Smt/Kum-----is enclosed herewith.

Seal & Signature of the cadre controlling Authority

Annexure-III

PARTICULARS OF THE OFFICERS FOR WHOM VIGILANCE CLEARANCE IS BEING SOUGHT

(To be furnished and signed by the CVO or HOD)

1. Name of the Officer (in full) :
2. Father's name :
3. Date of Birth :
4. Date of Retirement :
5. Date of entry into service :

6. Service to which the officer belongs
including batch (year) cadre etc.;
wherever applicable

7. Positions held (During ten preceding years):

S. No	Organisation (name in full)	Designation & Place of Posting	Administrative/ Nodal Ministry/ Department concerned (in case of officers of PSUs etc.)	From	To

8. Whether the officer has been placed on
the agreed list or list of Officer of
Doubtful Integrity (if yes, details to be given)

9. Whether any allegation of misconduct
involving vigilance angle was examined
against the officer during the last 10
Years and if so with what result (*)

10. Whether any punishment was awarded to
the officer during the last 10 years and if
so, the date of imposition and details of
penalty (*)

11. Is any disciplinary/ criminal proceedings
or charge sheet pending against the
officer as on date (if so, details to be
furnished, including reference number, if
any of the Commission)

12. Is any action contemplated against the
Officer as on date (if so, details to be
furnished (*)

(*) If vigilance clearance had been obtained from the Commission in the past, the information may be provided for the period thereafter.

Date:

(NAME AND SIGNATURE)

FORM II*(See rule 17)***Form of Oath of Office for Chairperson/ Member of the (Name of the Tribunal)**

I, A. B., having been appointed as Chairperson/ Member of the (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson/ Member (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of

FORM III*(See rule 17)***Form of Oath of Secrecy for Chairperson/ Member of the (Name of Tribunal)**

I, A. B., having been appointed as the Chairperson/Member of the (Name of Tribunal), do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson/ Member of the said (Name of Tribunal) except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairperson/Member.

[F. No. A.50050/9/2016-Ad.1C (CESTAT) (P-1)]

RITVIK PANDEY, J. Secy.

Explanatory Memorandum

Rule 11 gives retrospective operation from the 1st January, 2021, in order to give effect to the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India in W.P.(C) No. 804 of 2020. It is certified that no person is adversely affected by giving such retrospective operation.